**प्रेषक,**

**निदेशक, उच्च शिक्षा**

उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल।

सेवा में,

**कुल सचिव/प्राचार्य**

समस्त राज्याधीन विश्वविद्यालय/समस्त राजकीय महाविद्यालय

**पत्रांकः– डिग्री विकास/** 5667 **/2024–25** **दिनांक** 10 **फरवरी, 2025**

**विषयः उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत ''मुख्यमंत्री– उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना), 2024'' संचालित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक 270537 /XXIV-C-2/2025 –05(02)2024 Efile No.76968 दिनांक 29.01.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **''मुख्यमंत्री– उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना), 2024''** के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों/परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत/तैनात के शिक्षकों को देश के प्रमुख संस्थानों और केन्द्रों का शैक्षिक भ्रमण कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त के क्रम मे आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त से अवगत होते हुए अपने संस्थान मे कार्यरत समस्त अर्ह प्राध्यापकों की सूची संलग्न प्रारूप में भरकर औचित्य सहित सूचना 15 फरवरी 2025 तक ई–मेल आई0डी0 heukteachertour@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक उक्तवत्**

भवदीय

(डॉ0 आर0एस0 भाकुनी)
उप निदेशक
कृते निदेशक (उच्च शिक्षा)

संख्याः 270537/XXIV-C-2/2025/05(02)2024-Efile No. 76968

प्रेषक,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्याधीन विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

2. निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून, दिनांकः 29 जनवरी, 2025

विषयः उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत "मुख्यमंत्री-उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना), 2024" संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री-उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना), 2024" के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों/परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत/तैनात के शिक्षकों को देश के प्रमुख संस्थानों और केंद्रों का शैक्षिक भ्रमण करने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. "मुख्यमंत्री-उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना), 2024" तत्काल प्रभावी होगी।
2. विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार एवं योजना की समीक्षा उपरान्त संस्थानों को इस योजना के दायरे में जोड़ने या बाहर करने पर विचार किया जा सकता है।
3. "मुख्यमंत्री-उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना), 2024" हेतु संस्थानों की विषय क्षेत्र में विशेषज्ञता के आधार पर संबंधित विषय क्षेत्र के शिक्षक का चयन किया जाएगा जिसके अंतर्गत मेजबान संस्थान से प्राप्त परस्पर सहमति एवं निर्धारित मॉड्यूल (परिवर्तनीय) के आधार पर गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन हेतु प्रस्तावित भ्रमण अवधि में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना हेतु निम्न संस्थानों का नाम प्रस्तावित है-

1. राज्य के बाहर के प्रस्तावित संस्थान

| क्र0सं0 | संस्थान | विषय क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. | काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी | समस्त विषय वर्ग |
| 2. | नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज, बैंगलुरू | |
| 3. | दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | ह्यूमैनिटीज / फॉरेन लैंगुवेज |
| 4. | जे0एन0यू0, नई दिल्ली | |
| 5. | अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ | विज्ञान विषय वर्ग |
| 6. | आई0आई0एस0सी0, बैंगलुरू | |
| 7. | आई0आई0टी0 दिल्ली / कानपुर | |
| 8. | आइसर पुणे / कोलकाता / भोपाल / मोहाली | |
| 9. | अमृता विश्वविद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडू | |
| 10. | आई0आई0एम0 अहमदाबाद / लखनऊ | वाणिज्य /प्रबंधन |
| 11. | सेन्टर फॉर अप्लाइड लिंग्विस्टिक एण्ड ट्रान्सलेशन, हैदराबाद | लिंग्विस्टिक /फॉरेन लैंगवेज |
| 12. | द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैन्गवेज यूनिवर्सिटी (EFL Central University) हैदराबाद (रीजनल सेन्टर शिलांग / लखनऊ) | |

2. राज्य में अवस्थित एवं प्रस्तावित संस्थान

| क्र0सं0 | संस्थान | विषय क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. | आई0आई0टी0 रूड़की | विज्ञान /तकनीकी विषय वर्ग |
| 2. | आई0आई0एम0 काशीपुर | वाणिज्य /प्रबंधन |
| 3. | एफ0आर0आई0 देहरादून | वानिकी / वनस्पति विज्ञान |
| 4. | वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून | भूगर्भ / भूगोल |
| 5. | गोविन्द बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नॉलॉजी | कृशि एवं संबंधित विषय वर्ग / गृह विज्ञान |
| 6. | कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल | विज्ञान विषय वर्ग |

उपर्युक्त संस्थानों के अतिरिक्त समय–समय पर अन्य संस्थानों को सूची में जोड़ा या घटाया जा सकता है। उक्त संस्थानों के साथ सतत सहयोग के अवसर चिन्हित करते हुए उच्च शिक्षा के गुणवत्ता उन्नयन की दिशा में कार्य किया जाएगा। संबंधित संस्थानों से समन्वय करते हुए भविष्य में होने वाली अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं अकादमिक गतिविधियों में ऑनलाइन माध्यम से छात्रों एवं शिक्षकों को प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

4. **भ्रमण हेतु शिक्षक संख्या का निर्धारण**:– उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालय परिसर एवं शासकीय महाविद्यालयों के नियमित शिक्षक, जिनकी आयु

50 वर्ष अथवा कम होगी, योजना हेतु पात्र होंगे।

i. चयन के निर्धारित मानकानुसार वित्तीय वर्ष में विभिन्न विषय संवर्ग को मिलाकर अनुमानित रूप से लगभग 200 शिक्षकों का चयन किया जाएगा।

ii. भ्रमण हेतु यथा संभव पहले 50 आयु वर्ग के निकट के शिक्षकों को वरीयता प्रदान करते हुए सूची तैयार किया जाएगा।

iii. योजनांतर्गत लाभार्थी शिक्षकों को लाभ के वर्ष से आगामी 05 वर्षों हेतु योजना हेतु पात्र नहीं समझा जाएगा अर्थात क्रमशः ऐसे शिक्षकों को छोड़ते हुए पात्रता सूची तैयार की जाएगी और क्रमशः समस्त पात्र शिक्षकों को इस योजनांतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

iv. एक बैच में एक संस्थान से अधिकतम 02 शिक्षक सम्मिलित हो सकते हैं।

v. भ्रमण बैच विभिन्न पात्र संस्थानों एवं पात्र शिक्षकों से मिलाकर बनेगा जिसमें राज्य के विभिन्न संस्थानों से 25 से 30 शिक्षक सम्मिलित होंगे, विशेष परिस्थितियों में यह संख्या घट या बढ़ सकती है।

vi. वास्तविक यात्रा अवधि के अतिरिक्त संस्थान एवं निकटवर्ती स्थानों पर 05 से 06 दिन का भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। भ्रमण के दौरान संबंधित संस्थान द्वारा शिक्षकों का उनके प्रस्तुतिकरण एवं अन्य विभिन्न मानकों के आधार पर मूल्यांकन करते हुए प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा जो संबंधित शिक्षक के प्रोन्नति एवं कैरियर एडवांसमेन्ट हेतु मान्य होगा। भ्रमण कार्यक्रम के उपरान्त संबंधित संस्थान द्वारा समस्त शिक्षकों को उनके लक्ष्य (माइलस्टोन) प्रदान किए जाएंगे तथा राज्य नोडल अधिकारी के माध्यम से गैप एनालिसिस एवं शिक्षकों को निर्गत लक्ष्य (माइलस्टोन) की सूचना सहित उक्त शिक्षकों के गुणवत्ता उन्नयन हेतु सुझाव शासन को प्रेषित किए जाएंगे।

vii. संबंधित शिक्षक भ्रमण के पश्चात संस्थान वापस आने पर संबंधित संस्थान के माध्यम से शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

viii. एक वित्तीय वर्ष में 10 से 12 बैच राज्य अथवा राज्य के बाहर भ्रमण हेतु भेजे जाएंगे जिसमें अनुमानित रूप से कुल 200 से 250 पात्र शिक्षक होंगे (बजट उपलब्धता एवं मेजबान संस्थान से सहमति समझौते के आधार संख्या घट--बढ़ सकती है)।

5. शिक्षकों के लिए पात्रता मानदंडः–

i. **शिक्षक चयन आधारः–** शिक्षकों का चयन उस संस्थान की प्रकृति के आधार पर किया जाएगा जहां भ्रमण निर्धारित है। यदि भ्रमण हेतु चयनित संस्थान मुख्य रूप से एस0टी0ई0एम0 आधारित है, तो विज्ञान और उसके संबद्ध विषयों के शिक्षकों पर विचार किया जाएगा। इसके विपरीत, यदि संस्थान मानविकी आधारित है, तो मानविकी क्षेत्र के

शिक्षकों पर विचार किया जाएगा। बहुविषयक संस्थान अथवा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के प्रस्तावित भ्रमण के संबंध में, यदि सचिव उच्च शिक्षा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/समिति द्वारा यदि आवश्यक समझा जाता है, तो विभिन्न विषयों के शिक्षकों का मिश्रित समूह प्रस्तावित भ्रमण हेतु चयनित किया जा सकता है।

ii. शिक्षक चयन निम्न मानदण्डों के वितरण के आधार पर किया जाएगाः–

अ. अधिकतम पचास प्रतिशत (50%) की सीमा तक असिस्टेन्ट प्रोफेसरों का चयन शैक्षिक भ्रमण हेतु किया जाएगा।

ब. अधिकतम तीस प्रतिशत (30%) की सीमा तक एसोसिएट प्रोफेसरों का चयन शैक्षिक भ्रमण हेतु किया जाएगा।

स. अधिकतम बीस प्रतिशत (20%) की सीमा तक प्रोफेसरों का चयन शैक्षिक भ्रमण हेतु किया जाएगा।

6. **शैक्षणिक योग्यता और सेवा शर्तेः–**

अ. शैक्षिक भ्रमण हेतु चयनित शिक्षकों के पास पीएच.डी. डिग्री होनी चाहिए।

ब. शिक्षक अपनी परीवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि पूर्ण कर चुका हो।

स. शिक्षक की आयु पचास (50) वर्ष से कम होनी चाहिए।

द. संबंधित शिक्षक के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

य. भ्रमण हेतु चिन्हित शिक्षकों को पिछले तीन (03) वर्षों में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) में "उत्कृष्ट" ग्रेड प्राप्त होना चाहिए।

र. मुख्यमंत्री शिक्षक अनुभव यात्रा (शैक्षिक भ्रमण योजना) हेतु मात्र नियमित शिक्षक ही पात्र होंगे।

7. **शिक्षकों के चयन के लिए मूल्यांकन मानदंडः–** मूल पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद, शिक्षकों का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जाएगाः–

| मापदंड | उप–मापदंड | अधिमान |
|---|---|---|
| **शैक्षणिक प्रदर्शन** | | |
| पिछले शैक्षणिक वर्ष में प्राध्यापक के अध्यापन वाले संबंधित विषय में पचहत्तर प्रतिशत (75%) या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत | 100% Students | 5 |
| | 80% Students | 4 |
| | 60% Students | 3 |
| | 40% Students | 2 |
| | 20% Students | 1 |
| | Below 20% | 0 |
| **शोध योगदान** | | |
| पिछले शैक्षणिक वर्ष में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या (शोध पत्र ABDC quality list, Scopus index, SCI index, or WoS index का | Five or more papers | 5 |
| | Four papers | 4 |
| | Three papers | |

| | | |
|---|---|---|
| हिस्सा होने चाहिए) | Two papers | 2 |
| | One paper | 1 |
| | No papers | 0 |
| शोध अनुदान | पिछले शैक्षणिक वर्ष में प्राप्त एक या अधिक शोध अनुदान | 5 |

नोट– अंक बराबर होने की स्थिति में, अंतिम सूची तैयार करने के लिए सेवा के वर्षों के आधार पर शिक्षक की वरिष्ठता पर विचार किया जाएगा।

8. **यात्रा और दैनिक भत्ता (TA/DA)**:– **''मुख्यमंत्री–उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना, 2024''** के लिए चयनित शिक्षकों को यात्रा और दैनिक भत्ता (TA/DA) तत्समय लागू शासकीय दरों/श्रेणी के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
9. **योजना का कार्यान्वयन**:– चयन प्रक्रिया निम्नवत् दो चरणों की होगी:–
    1. संस्थान स्तर पर, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) उपरोक्त उल्लिखित चयन मानदंडों के आधार पर शिक्षकों की प्रारंभिक सूची तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा। संस्थान के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) द्वारा तैयार प्रारंभिक सूची को कुल सचिव/प्राचार्य द्वारा अग्रसारित कर निदेशक, उच्चशिक्षा को प्रेषित किया जाएगा।
    2. निदेशक उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति, संस्थान/महाविद्यालय द्वारा प्रेषित सूचियों के संकलन और उनके अंतिम मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होगी। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।
10. **नोडल अधिकारी**:– निदेशक, उच्च शिक्षा इस नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेंगे। नोडल अधिकारी निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे:–
    1. देश के अन्य उत्कृष्ट संस्थानों की पहचान करना और उनके साथ औपचारिक रूप से विभागीय समझौते (एम0ओ0यू0) की प्रक्रिया पूर्ण कर, शिक्षकों के शैक्षिक भ्रमण के लिए औपचारिक चैनलों की स्थापना करना।
    2. प्रस्तावित योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग और राज्य के अन्य संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु प्रयास करना।
11. **समीक्षा और संशोधन**:– इस नीति/योजना की नियमित अंतराल (वर्ष में न्यूनतम एक बार अवश्य) पर समीक्षा की जाएगी। समीक्षा उपरान्त प्राप्त बिन्दुओं के आधार पर विभाग द्वारा इसे और प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से आवश्यक संशोधन/परिवर्तन प्रस्तावित किया जा सकता है।

2– **''मुख्यमंत्री–उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना (शैक्षिक भ्रमण**

योजना), 2024'' हेतु वित्तीय प्रावधान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0 11 के लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–103–राजकीय कॉलेज एवं संस्थान–29–उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना –42–अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनु0–03, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटरजनित ई0 संख्या: I/265621/2025, दिनांक 02 जनवरी, 2025 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Ranjit Kumar Sinha
Date: 26-01-2025 18:27:48

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

संख्या:270537 /XXIV-C-2/2025/05(02)2024-Efile No. 76968 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, गढवाल / कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त कुल सचिव, राज्याधीन विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
8– समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
10– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
11– वित्त अनु0–3 / नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12– संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
13– अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, 3 एवं 4 उत्तराखण्ड शासन।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Deepak Kumar
Date: 29-01-2025 12:53:44

(दीपक कुमार)
अनु सचिव।

**Mukhyamanatri - Uchcha Shiksha Gunwatta Unnayan avm Gyanwardhan Prashikshan Yojna (Shaikshik Bharman Yojna) 2024**

**Format for State Universities/ Government Colleges' IQAC to fill the data of eligible teachers as per GO no. 270537 dated 29 January 2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1- | Name of the Institution: | | |
| 2- | Name of Teacher: | | |
| 3- | Subject / Stream | | |
| 4- | Designation of Teacher | Assistant Professor/ Associate Professor/ Professor | |
| 5- | Whether Ph.d or not | Yes/ No | |
| 6- | Probation Completed or Not | Yes/ No | |
| 7- | Age on 01-02-2025 | Yes/ No | |
| 8- | Any Disciplinary Action Taken or not | Yes/ No | |
| 9- | Last three year ACR Excellent or not | Yes/ No | |
| 10- | Regular or not | Yes/ No | Weightage |
| 11- | **Last year Result with 75% + marks passed students** | 100% Students | 5 |
| | | 80% Students | 4 |
| | | 60% Studnts | 3 |
| | | 40% Students | 2 |
| | | 20% Students | 1 |
| | | Below 20% Students | 0 |
| 12- | **Research Contribution** | Five or more papers | 5 |
| | ›ers published last year (Published in ABDC quality list, Sco | Four papers | 4 |
| | | Three papers | 3 |
| | | Two papers | 2 |
| | | One papers | 1 |
| | | No paper | 0 |
| 13- | **Research Grant** | One or more Research grant received last academic year | 5 |
| | | **Total Weightage** | |
| 14- | Recommendation of IQAC of the Institute | Qualified/ Not Qualified | |
| | Signature of IQAC members | | |
| 15- | Countersigned by the Dean/ Registrar/Head of the Institute | | |
| 16- | Recommendation of the Directorate Committee | | |
| | Signature | | |